न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13 / 2022(राजसमन्दआर्डर)

वरदीचन्द पिता खेमराज जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी हनुमानपुरा, मोलेला, तहसील खमनोर,जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश पिता मोहनलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी हनुमानपुरा, मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मोहनलाल पिता चतुर्भुज जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी हनुमानपुरा, मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारीनाथद्वारा, प्रकरण संख्या 60 / 2020 दिनांक13.06.2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसराअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णयदिनांक 22—11—2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोलेला में आराजी नंबर 5463 रकबा 0.8978 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है, किन्तु विपक्षीगण बिना विभाजन के प्रार्थी के हिस्से पर भी पत्थर रेती डालकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रहे हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर विभाजन होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–06–2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 22–06–2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहससुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजियात में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा होकर भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, फिर भी रेस्पोन्डेन्टगण अपनी मनमर्जी से कृषि भूमि के महत्वपूर्ण भाग पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रहे हैं तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर धमकी देते हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है। अगर प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वानअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **आर.बी.जे. 1999 पेज 301, आर.बी.जे. 2002 पेज130 व 283** प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी नंबर 5463 रकबा 0.8978 हैक्टर भूमि मेंरेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज हैतथा रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस भूमि के मूल खातेदार डालचन्द पिता चतुर्भुज कुम्हार के शपथ पत्र एवं प्रस्तुत फोटो ग्राफ के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थी का नहीं माना है एवं इसके आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया हो विधि सम्मत है। इस संबंध में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके अनुसार भी सहखातेदारी की भूमि में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–06–2022यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested